पृ. 1

23/09/2020 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उत्तरपक्ष उप.।
अधिवक्ता उत्तरपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण ग्रामीण परिवेश से अनपढ़ होने से तारीख पेशी की जानकारी नहीं होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके तथा अधिवक्ता की गलती का खामियाजा पक्षकार को देना न्यायोचित नहीं है अतः अपीलांट का रेस्टोरेशन प्रा.पत्र स्वीकार करमाया जावे।
अधिवक्ता रेस्पा. ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटगण जानबूझकर ता.पेशी पर हाजिर नहीं हुए जबकि रेस्पोंडेंट ने अपनी लिखित बहस भी पेश कर रखी थी। अपीलांट द्वारा पेश रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है विलंब का कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया है। अतः अपीलांट का आवेदन खारिज करमाया जावे। यदि न्यायालय इस आवेदन को स्वीकार करता है तो भारी कॉस्ट के साथ स्वीकार करें जाकि दृष्टांत RRT 2010(2) Page 801, RRT 2017 (1) Page 11 SC Oriental Aroma Chemical V/s Gujarat I.D.Cor.

P.T.O.

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारित करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना न्यायोचित है। अपीलांट को प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का अवसर देना विधि सम्मत है। अपीलांट ग्रामीण परिवेश एवं अनपढ़ होने से उनको तारीख पेशी की जानकारी नहीं होने से न्यायालय में उपस्थित नहीं आ पाये एवं सदभाविक भूल मानते हुए क्षमा करना विधिसम्मत एवं प्राकृतिक न्याय सम्मत है अतः अपीलांट का आवेदन बाबत अपील बहाल स्वीकार किया जाकर आदेश दिए जाते हैं कि अपील प्र.न. पूर्व नं. पर दर्ज हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले इजलास सुनाया गया।